

Took	240
Udaipur	1328
GRAND TOTAL	10798

ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगार

1841. **श्री रामदेव भंडारी:** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने तथा उनके शहरों की ओर पलायन को रोकने हेतु सरकार क्या कार्यनीति अपना रही है;

(ग) एक वर्ष में औसतन कितने शिक्षित/प्रशिक्षित बेरोजगार युवाओं को सरकार रोजगार उपलब्ध करा रही है; और

(घ) सरकार कितने वर्षों में सभी बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करा देगी ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण रोजगार और गरीबी उपशमन विभाग) में राज्य मंत्री (श्री विलास बाबूराव मुत्तेमवार): (क) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण ने एन.एस.एस.के 43 वें दौर (1987-88) के आंकड़ों के आधार पर शिक्षा के स्तर के आधार पर 15 वर्ष और इसके ऊपर की आयु के बेरोजगार लोगों के लिए आकलन किया है। 1.1.1988 तक 15 वर्ष और उसके ऊपर की आयु के लोगों की अनुमानित परियोजित जनसंख्या के सर्वे अनुपात द्वारा बेरोजगारों की संख्या का आकलन किया गया था। प्रमुख राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए शिक्षित बेरोजगारों के अनुमान का विवरण केवल संलग्न है **(नीचे देखिए)** क्योंकि अखिल भारतीय आकलन प्रत्येक राज्यों के प्राप्त हुए आकलनों से मेल नहीं खाते हैं जबकि अलग अलग राज्य के अनुमानित आंकड़े देते समय उन्होंने छोटे राज्यों को

छोड़ दिया है अखिल भारतीय आकलनों में नागालैंड के ग्रामीण क्षेत्र शामिल नहीं किए गए क्योंकि वहां पर एन.एस.एस.का 43वां दौर (1987-88) नहीं चलाया गया था।

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षित गरीब बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के और अधिक अवसर सृजन करने हेतु, विभिन्न मंत्रालयों द्वारा विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं। यह मंत्रालय ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण युवाओं को तकनीकी दक्षता मुहैया करा कर सक्षम बनाया जाता है, ताकि वे स्व/मजदूरी रोजगार शुरू कर सकें। ऐसे युवाओं को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण/सबसिडी भी मुहैया कराई जाती है।

(ग) और (घ) आठवीं योजना में रोजगार पर बल दिया गया है। योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ट्राइसेम, जवाहर रोजगार योजना, नेहरू रोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना आदि जैसे विशेष रोजगार कार्यक्रमों की सहायता से रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने की नीति की मार्फत प्रति वर्ष औसतन 8.5 मिलियन के उद्देश्य से अतिरिक्त रोजगार अवसरों को सृजन करने की व्यवस्था है।

इन योजनाओं में से, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ट्राइसेम, जवाहर रोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं और ट्राइसेम योजना का मुख्य उद्देश्य स्व/मजदूरी रोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करना है। आठवीं योजना के विगत तीन वर्षों के दौरान ट्राइसेम के अन्तर्गत प्रशिक्षित ग्रामीण युवाओं को रोजगार में लगाए जाने की संख्या निम्नानुसार है।

1992-93	1.41 लाख
1993-94	1050 लाख
1994-95	3.31 लाख

विवरण

1984-88 के दौरान प्रमुख राज्यों के लिए प्रत्येक सामान्य शिक्षा वर्ग में 15 और उसके ऊपर की आयु के बेरोजगार लोगों (00 में) की अनुमानित संख्या

राज्य/अखिल भारत	ग्रामीण अशिक्षित	साक्षर और प्रामरी तक	आठवीं तक	माध्यमिक और उससे ऊपर
आन्ध्र प्रदेश	4134	775	604	1540
असम	565	718	665	1354
बिहार	1421	1028	660	1978
गुजरात	823	476	219	541
हरियाणा	240	603	353	895
हिमाचल प्रदेश	45	139	86	296
जम्मू व कश्मीर	21	20	73	190
कर्नाटक	428	192	293	950
केरल	799	3210	4256	5731
मध्य प्रदेश	960	276	267	350
महाराष्ट्र	900	776	448	1204
उड़ीसा	1341	1762	898	1224
पंजाब	90	205	279	795
राजस्थान	1770	602	339	489
तमिलनाडु	2990	1157	1034	2001
उत्तर प्रदेश	1589	845	715	2288
पश्चिम बंगाल	2221	919	901	1826
अखिल भारत	19413	12386	11781	23435

Ban on Drug 'Genseng'

1842. SHRI K. RAHMAN KHAN: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether 'Genseng', a component of Ravital drug, is banned in several countries including USA ;

(b) what are the reasons for banning 'Ganseng' in some of the countries and whether Government are considering banning that drug in India; and

(c) If not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI A. P. ANTULAY): (a) No, Sir. There is no official report of Genseng being banned in any country including U.S.A.

(b) and (c) Does not arise.

Rotational Transfer* in C.P.W.D.

1843. SHRI GAYA SINGH: T.dl the Minister of URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the DG(W), C.P.W.D. had issued orders in April, 1995 that workcharged staff and regular classified staff who have been working in one place/area for more than 10 years should be transferred;

(b) if so, whether these orders have been implemented in all Civil (including Fire Staff), electrical (including air conditioning, mechanical and sound staff) and horticultural (including mechanical staff) Divisions/Circles in all New Delhi Zones of the Department; and

(c) if not, the Divisions/Circles in